पत्रांक– 306357/E–63835/ XXVII(1)/2025

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त वित्त नियंत्रक/
वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड सरकार।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक: 16 जून, 2025

विषयः– राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद सेवायें तथा परामर्शी सेवायें लिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनोदश संख्या–96873/XXVII(7)/E–43511/2022 दिनांक 07.02.2023 एवं शासनादेश संख्याः 264943/XXVII(1)/2024 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा राज्य के सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद (Architectural)/परामर्शी सेवायें लिये जाने में कन्सेंल्टेंसी शुल्क का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर किये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति (EFC) तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठकों में संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2023 एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु एकमुश्त दरों का भुगतान न करते हुए, शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि वित्तीय दृष्टि से नितान्त आपत्तिजनक तथा राज्य के वित्तीय हितों के विरूद्ध है।

3– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु कन्सेंल्टेंसी फीस का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर किया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आशय का घोषणा पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी विभाग द्वारा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2023 एवं 31 दिसम्बर, 2024 की व्यवस्था के प्रतिकूल निर्धारित एकमुश्त शुल्क से अधिक दर पर कन्सेंल्टेंसी शुल्क का भुगतान किया गया हो तो तद्नुसार भी तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जा सके। प्रकरण महत्वपूर्ण है अतः संवेदनशीलता अपेक्षित है।

भवदीय,

Digitally signed by
Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 16-06-2025 17:25

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या– 306357 /E–63835/XXVII(1)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कार्यदायी संस्थायें उत्तराखण्ड।
6. नियोजन विभाग/तकनीकी ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

File No. FIN7-PR/PR/4/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 43511)
/96873/2023

/96873/2023

संख्या– 96873 / XXVII(7)/E-43511/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /
सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 7 फरवरी, 2023

विषयः राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यो में वास्तुविद् सेवायें (Architectural Services) / परामर्शी सेवायें लिये जाने में फीस का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह आया है कि उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यो में वास्तुविद सेवाओं (Architectural services) / परामर्शी सेवाओं यथा कान्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच, अनुमानित लागत, ड्राइंग एवं विशिष्टियां, विस्तृत आगणन, निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन सम्बन्धी सलाह, विस्तृत वर्किंग ड्राइंग / डिजाइन / गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्माण के दौरान स्थलीय भ्रमण एवं पर्यवेक्षण आदि लिये जाने में वास्तुविद / परामर्शी फीस का निर्धारण योजना की लागत के सापेक्ष प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है। वास्तुविद / परामर्शी द्वारा डिजाइन / प्लान / डी0पी0आर0 में ऐसे मद / घटक भी शामिल किये जा रहे हैं जिनसे विस्तृत आगणन की लागत में वृद्धि तथा लागत के सापेक्ष वास्तुविद / परामर्शी को देय फीस की धनराशि में भी वृद्धि हो रही है।

2– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / उपकमों / निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यो में वास्तुविद / परामर्शी सेवायें लिये जाने में कन्सेंल्टेंसी फीस का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर न करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तो के अधीन एकमुश्त (LUMP SUM) धनराशि के आधार पर किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. किसी भी निर्माण कार्य के प्रारम्भ में विभाग यह निर्णय कर लें कि क्या यह कार्य उनकी इन हाउस टीम (In house team) द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं? इन हाउस केपबिलिटी (In house capability) न होने की स्थिति में ही बाह्य परामर्शी की सेवायें ली जाय।

ii. बाह्य परामर्शी की सेवायें लिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रस्ताव / दरें आमंत्रित करने से पूर्व यथोचित कार्यवाही (Due diligence) कर ली जायें। इसके अन्तर्गत Scope of Work / विभाग की आवश्यकताओं को विस्तृत रूप में निर्धारित कर स्पष्ट कर लिया जाय। निविदा प्रकिया में प्री–बिड कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाय, ताकि कार्य के Scope of Work पर सम्भावित वास्तुविद / परामर्शी के साथ चर्चा हो सके और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

iii. वास्तुविद सेवाओं (Architectural services) / परामर्शी सेवाओं की लागत को मानकों के अन्तर्गत न्यूनतम आधार पर ही निर्धारित किया जाय। वास्तुविद सेवाओं / परामर्शी सेवाओं की लागत रू0 5.00 करोड़ तक के कार्यो के लिए निर्माण कार्य की लागत के 2% से अधिक नहीं होगी तथा रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यो के लिए इसकी अधिकतम सीमा निर्माण कार्य की लागत की 1.75% होगी। यदि वास्तुविद सेवाओं / परामर्शी सेवाओं की लागत निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त हो तो प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

/96873/2023
/96873/2023

यदि किसी निर्माण कार्य में एक ही प्रकार के डिजाइन का उपयोग दोहराया जाता है तो वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं के अन्तर्गत एक बार मानक डिजाइन हेतु भुगतान किये जाने के पश्चात् उसी मानक डिजाइन का प्रयोग निर्माण-परियोजना/कार्य के अन्य विस्तृत आगणन में पुनः किये जाने पर मानक डिजाइन के कार्य हेतु पुनः भुगतान नहीं किया जायेगा।

v. मानक डिजाइन वाले भवन निर्माण कार्यों को छोडकर रू0 3.00 करोड से अधिक लागत वाले भवन निर्माण कार्यों में तृतीय पक्ष से वास्तुविद सेवायें/परामर्शी सेवायें अनिवार्य रूप से ली जायेंगी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 मई, 2008 के बिन्दु संख्या–2 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

vi. डी0पी0आर0 में प्रावधानित स्थल विकास एवं अन्य मानक मदों, जिनमें वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो, उन मानक मदों को वास्तुविद सेवाओं की लागत में सम्मिलित न किया जाय।

vii. वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति ग्राहक विभाग द्वारा अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से अधिप्राप्ति नियमावली, 2017(यथा संशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 06-02-2023 20:08:29
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–96873/ XXVII(7)/E-43511/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 07-02-2023 11:13:01
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

पत्रांक : 264943/ XXVII(1)/2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

समस्त वित्त नियंत्रक/
वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड सरकार।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 31 दिसम्बर, 2024

विषयः राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद सेवायें तथा परामर्शी सेवायें लिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–96873/ XXVII(7)/E–43511/ 2022 दिनांक 07.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य के सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद (Architectural)/परामर्शी सेवायें लिये जाने में कन्सेंल्टेंसी शुल्क का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर किये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति (EFC) तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठकों में संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु एकमुश्त दरों का भुगतान न करते हुए, शासनादेश के प्रतिकूल अधिक दरों का भुगतान किया जा रहा है जो कि वित्तीय दृष्टि से नितान्त आपत्तिजनक तथा राज्य के वित्तीय हितों के विरूद्ध है।

3– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने संबंधित सरकारी विभागों/स्वायशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं हेतु कन्सेंल्टेंसी फीस का निर्धारण एकमुश्त (Lump-Sum) आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराया जाए कि शासनादेश दिनांक 07.02.2023 के निर्गत होने के उपरान्त किन–किन कार्यों हेतु किस दर पर कितनी धनराशि कन्सेंल्टेंसी शुल्क के रूप में भुगतान की गयी है ? उक्त के अतिरिक्त यदि शासनादेश दिनांक 07.02.2023 की व्यवस्था के प्रतिकूल निर्धारित एकमुश्त शुल्क से अधिक दर पर कन्सेंल्टेंसी शुल्क का भुगतान किया गया हो तो तत्सम्बन्धी कार्यों की सूची भी वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 31-12-2024 13:45:31
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या : 264943/XXVII(1)/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कार्यदायी संस्थायें, उत्तराखण्ड।
6. नियोजन विभाग/तकनीकी ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव